न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

सीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS
पत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 53, 48 आरटीए
रण संख्याः- 022/2026

गुरनाम सिंह पुत्र श्री छोटू उर्फ छोटा सिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-: वादीगण

बनाम

1 कौर सिंह पुत्र श्री छोटू उर्फ छोटा सिंह (फौत)
1/1 बलजीत कौर पत्नी श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
1/2 हरजिन्द्र सिंह पुत्र श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
1/3 प्रेम सिंह पुत्र श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2 रूप सिंह पुत्र श्री छोटू उर्फ छोटा सिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-: प्रतिवादी

स्थित :-
1. श्री खुशप्रीत सिंह संधू - अधिवक्ता वादी
2. श्री शमशेर सिंह - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/3, 2
3. राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 3

-:निर्णयः-

दिनांक 03.02.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में इन कथनो के साथ पेश किया कि यह कि वादी एंव प्रतिवादी सख्या 1 व 2 के नाम चक 18 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 83/77, खाता कौर सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2077-2080 के पत्थर नम्बर 102/195 (28) किला नम्बर 6/1/.228, 15/1/.228, पत्थर नम्बर 103/195 (29) किला नम्बर 9 से 12, 19, 20/. 253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 103/196 (36) किला नम्बर 3/1/.215, 8, 13/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 2.695 हैक्टेयर कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी गुरनाम सिंह के नाम 1/4 हिस्सा, खातेदार कौर सिंह के नाम 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सख्या 2 रूप सिंह के नाम 1/2 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि वादी के नाम चक 18 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 50/77, खाता इन्द्रा आदि, जमाबन्दी सम्वत 2077-2080 में दर्ज कुल 2.871 हैक्टेयर कृषि भूमि में 563/2871 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि वादी एंव प्रतिवादी सख्या 1 व 2 हिन्दू परिवार के सदस्य है। वाद पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज आराजी का वादी एंव प्रतिवादी सख्या 1 व 2 द्वारा अच्छी मन्दी के हिसाब से तथा काश्त की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए भूमि का एकीकरण करने के उदेश्य से अर्सा

पूर्व घराघरू विभाजन एंव विनिमय किया हुआ है। मुताबिक घराघरू बंट्वारा एंव विनिमय के हिस्सा में अच्छी मन्दी आराजी अनुसार निम्न आराजी आई है -

हिस्सा वादी गुरनाम सिंह :-

चक 18 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 83/77, खाता कौर सिंह आदि, जाबन्दी सम्वत 2077-2080 के पत्थर नम्बर 102/195 (28) किला नम्बर 6/1/.228, 5/1/.228, पत्थर नम्बर 103/195 (29) किला नम्बर 11/.126 हैक्टेयर (दक्षिण ओर), 2/.127 हैक्टेयर (दक्षिण ओर), 19, 20/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 1.215 हैक्टेयर आराजी।

) चक 18 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 50/77, खाता इन्द्रा आदि, जाबन्दी सम्वत 2077-2080 के पत्थर नम्बर 103/195 (29) किला नम्बर 21/.127 क्टेयर (पश्चिम ओर) कुल .127 हैक्टेयर आराजी।

नोट - वादी के नाम खाता संख्या 83/77 में .673 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड तथा वादी चक 18 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 83/77, खाता कौर सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2077-2080 में कौर सिंह के नाम दर्ज .673 हैक्टेयर आराजी में से .542 हैक्टेयर कृषि भूमि की घोषणा प्राप्त कर एवं कौर सिंह का .542 हैक्टेयर हिस्सा कम करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है तथा चक नम्बर 18 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 50/77, खाता इन्द्रा आदि, जमाबन्दी सम्वत 2077-2080 में वादी के नाम दर्ज .563 हैक्टेयर हिस्से में से .436 हैक्टेयर कम कर उक्त खाते में वादी मात्र .127 हैक्टेयर आराजी प्राप्त करने का अधिकारी है तथा वादी द्वारा उक्त खाते में कुछ आराजी जरिये पंजीकृत बैयनामा खरीद भी की हुई है जिसे वादी विनिमय के अनुसरण में प्रतिवादी सख्या 1/1 से 1/3 के नाम घोषणा करवाने बाबत सहमत है। खाता संख्या 50/77 विवादित है, भविष्य में उक्त खाते बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो मुझ वादी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से में से .436 हैक्टेयर व वादी द्वारा क्रयशुदा आराजी विनिमय के अनुसरण में वादी की अनुपस्थिति में कौर सिहं के वारिसान प्रतिवादी सख्या 1/1 से 1/3 के नाम घोषणा की जाती है तो मुझ वादी को कोई ऐतराज नही है।

यह कि वादी के हक हिस्से की आराजी मुताबिक घराघरू विभाजन वादी के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है। वादी के आधिपत्य व धारण की आराजी प्रतिवादी सख्या 1/1 से 1/3 के पति/पिता कौर सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने वादी अपनी इच्छा अनुसार अपने आधिपत्य व धारण की आराजी का उपयोग व उपभोग नही कर पा रहा है तथा समय समय पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ का लाभ व कृषि भूमि को रहन, बैय करने से वंचित हो रहा है, इस कारण वादी के हितो पर विपरित प्रभाव पड रहा है।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण को निवेदन कर वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का वाद पत्र की मद सख्या 4 के अनुसार वादी के आधिपत्य व धारण की आराजी की घोषणा एंव विनिमय खाता विभाजन करवा देवे तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। यही वाद कारण है।

यह कि खातेदार कौर सिंह दिनांक 28.03.1999 को फौत हो चुका है जिसके जायज व कानूनी वारिसान प्रतिवादी सख्या 1/1 से 1/3 है।

यह कि प्रतिवादी सख्या 03 को प्रशनगत आराजी का भू-धारक होने के कारण वाद पत्र में पक्षकार बनाया है ताकि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित हो सके।

यह कि वाद माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावेः-

(क) कि वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का वाद पत्र की मद संख्या 4 में अंकितानुसार मुताबिक घोषणा एंव विनियम खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) कि खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से वादी को दिलाया जावें।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी को प्रदान करना उचित समझे, दिलवाया जावें।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी 1/1 ता 1/3, 2 की ओर से जवाब दावा पेश कर वाद डिक्री किये जाने मे सहमति प्रदान की वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। बहस सुनी गई, दौराने बहस वादी पक्ष ने वाद पत्र वादीगण मुताबिक डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:<u>क्रियात्मक आदेश</u>:-

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है किः-

(क) **हिस्सा वादी गुरनाम सिंह :-** (i) चक 18 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 3/77, खाता कौर सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2077-2080 के पत्थर नम्बर 102/195 (28) किला नम्बर 6/1/.228, 15/1/.228, पत्थर नम्बर 103/195 (29) किला नम्बर 11/.126 हैक्टेयर (दक्षिण ओर), 12/.127 हैक्टेयर (दक्षिण ओर), 19, 20/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 1.215 हैक्टेयर आराजी। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा फरीकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

न अधिकारीः- **(मांगी लाल)** RAS

संख्याः- 022/2026

गुरनाम सिंह पुत्र श्री छेटू उर्फ छेटा सिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-: वादीगण

बनाम

कौर सिंह पुत्र श्री छेटू उर्फ छेटा सिंह (फौत)

1/1 बलजीत कौर पत्नी श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

1/2 हरजिन्द्र सिंह पुत्र श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

1/3 प्रेम सिंह पुत्र श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

2 रूप सिंह पुत्र श्री छेटू उर्फ छेटा सिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

3 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 53, 48 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू रे बहाजरी श्री खुशप्रीत सिंह वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री शमशेर सिंह वकील प्रतिवादीगण व पैरोकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व घोषणा की जाकर डिक्री दी जाती है - **(क) हिस्सा वादी गुरनाम सिंह** :- (i) चक 18 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या /77, खाता कौर सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2077-2080 के पत्थर नम्बर 102/195 (28) किला बर 6/1/.228, 15/1/.228, पत्थर नम्बर 103/195 (29) किला नम्बर 11/.126 हैक्टेयर (दक्षिण र), 12/.127 हैक्टेयर (दक्षिण ओर), 19, 20/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 1.215 हैक्टेयर आराजी। सीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व षित खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की वे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी वे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक XXX अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 03.02.2026 को जारी किया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ